प्रेस नोट
दिनाँक 13.11.2025
जनपद-संतकबीरनगर

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 300 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-
दिनाँक – 28.07.2003 को ग्राम सुहुणा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर में वादी एस0ओ0 दुधारा श्री महेन्द्र राम प्रेमी द्वारा मय पुलिस बल के अभियुक्त सफी मोहम्मद उर्फ धुधुर पुत्र वकरोदन निवासी हैवलिया थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को 02 अदद गोवंशीय पशु को वध करने के आशय से ले जाते समय बरामद किया था और थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 207/2003 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री कैसर हुसैन थाना दुधारा द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-
उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त सफी मोहम्मद उर्फ धुधुर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक पर थाना धनघटा व महुली के आरक्षियों की बीट बुक का किया गया निरीक्षण

आज दिनाँक 13.11.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक पर थाना **धनघटा व महुली** के बीट व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बीट अधिकारियों की बीट बुक का अवलोकन किया तथा उसमें अंकित सूचनाओं, शिकायतों एवं निराकरण की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना धनघटा के बीट अधिकारी का0 मेराज अली, का0 प्रवीण कुमार तथा थाना महुली के बीट अधिकारी हे0का0 शम्स तबरेज अली, का0 विनोद कुमार मौर्या की बीट बुक का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया व आदेशित किया गया कि बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जाए। क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों, असामाजिक तत्वों, वांछित/वारंटी अभियुक्तों पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा जनता से सतत संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ बीट बुक में प्रत्येक सूचना का नियमित रूप से अद्यतन किया जाए और क्षेत्र में गश्त एवं चौकसी बढ़ाई जाए, ताकि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। किसी भी प्रकार की गैरजिम्मेदारी क्षम्य नहीं होगी।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को 02 माह का कारावास व 1400 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.11.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 02 माह का कारावास व 1400 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-
दिनाँक- 15.03.2009 को वादी श्री जय प्रकाश दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे निवासी धेवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के साथ प्रतिवादी भवनाथ पुत्र झीना निवासी धेवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 66/2009 धारा 323, 504,506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।
सजा विवरणः-
उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त भवनाथ को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के अपराध में 01 माह का कारावास व 400 रु0 का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01 माह 15 दिवस का कारावास तथा 400 रु0 का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 02 माह का कारावास तथा 600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहम्मदपुर कठार से कालर द्वारा अज्ञात कार व साईकिल में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 01 महिला (01.रुनझुन पुत्री बाबूलाल यादव निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घायल में घायल उक्त महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 मोहन प्रजापति, का0 अजीजुल्लाह खाँ, हो0चा0 रसीद अहमद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 508 वाहनों से 5,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 508 वाहनों से 5,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बिताई गयी अवधि व 4100 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 13.11.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(ए0स0डी0)/ एफ0टी0सी0 प्रथम ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बिताई गयी अवधि व 4100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक – 16.10.2005 को थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर में वादी उ0नि0 श्री राम सुरेश राय थाना मेंहदावल द्वारा मय पुलिस बल के अभियुक्तगण 01- राजेश्वर पुत्र परदेशी गौड़ निवासी हरपुर, 02- नन्दलाल पुत्र राम चन्दर गुप्ता निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 02 अदद गोवंशीय पशु को वध करने के आशय से ले जाते समय बरामद किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 961/2005 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री रमेश सिंह थाना मेंहदावल द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तो को अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास भुगतना होगा, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 4100 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 4100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ,जिसका विवरण निम्नवत है-

मु0अ0सं0 961/2005 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबन्धित 02 अभियुक्तो को दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण- 01- राजेश्वर पुत्र परदेशी गौड़ निवासी हरपुर, 02- नन्दलाल पुत्र राम चन्दर गुप्ता निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जेल में बिताय गयी अवधि व 4100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया कराया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को 02 माह का कारावास व 1400 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को 02 माह का कारावास व 1400 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ,जिसका विवरण निम्नवत है-

मु0अ0सं0 66/2009 धारा 323/504/506 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबन्धित 01 अभियुक्त को दण्डित किया गया।

अभियुक्त- 01- भवनाथ पुत्र झीनू निवासी धेवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 02 माह का कारावास व 1400 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया कराया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 1051/2025 धारा 69/115(2)/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मंगलेश्वर पुत्र दलजीत चौहान निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 13.11.2025 को रसुलपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 12.11.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 अरुण कुमार, म0का0 प्रियंका कन्नौजिया।